अंकों में सुधार

RSOS तथा अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण होने के आगामी 1 वर्ष में एक अवसर उन्नयन (Improvement) हेतु दिया जायेगा। इसके लिए अभ्यर्थी पूर्व में उत्तीर्ण मूल अंकतालिका तथा मूल माइग्रेशन/मूल टी.सी. आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे। अभ्यर्थी पूर्व में उत्तीर्ण किये गये विषयों में ही पंजीयन करवायेंगे।

आई.टी.आई. कोर्स

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3 (2) शिक्षा–6/2015 जयपुर दिनांक 04.05.2015 के अनुसार नेशनल कौंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् भाषा विषय में (हिन्दी, अंग्रेजी) राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण कर लेने पर उक्त आदेश की अनुपालना में आर.एस.ओ.एस. की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण के समकक्ष होगा। विस्तृत विवरण वेबसाइट पर देखें।

वेबसाइट

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी, पंजीयन आवेदन–पत्र एवं विवरणिका आर.एस.ओ.एस. की Website: http://www.rsos.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

मान्यता

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा जारी 10वीं व 12वीं के प्रमाण–पत्रों को केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा सी.बी.एस.सी., माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या अन्य बोर्डों के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। रेलवे बोर्ड व सेना में भी मान्यता प्राप्त है।

विशेषताएँ

पाठ्यक्रम की सरलता व शिक्षा की सहजता के साथ–साथ परीक्षा का लचीलापन स्टेट ओपन स्कूल की विशेषता है। तनावमुक्त होकर अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। ओपन स्कूल से जुड़कर अभ्यर्थी अपने ज्ञान व अनुभव का सुदृढ़ीकरण व संवर्धन करता है। उसके ज्ञान का प्रमाणीकरण होने पर जहाँ आत्म सन्तोष मिलता है वहीं आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है।

उपलब्धियाँ

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में प्रारम्भ से अब तक (सत्र 2014–15) 4,90,285 अभ्यर्थी इस योजना से जुड़ चुके हैं। गत सत्र 2014–15 में माध्यमिक 49,205 एवं उच्च माध्यमिक 27,452 इस प्रकार कुल 76,657 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए।

नरेशपाल गंगवार
शासन सचिव (माध्यमिक शिक्षा)
एवं अध्यक्ष निष्पादक मण्डल

दयाराम महरिया
सचिव

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
एकलव्य भवन
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
जयपुर (राज.) 302015
फोन : 0141–2705067 (सचिव), 5150938 (प्रकाशन), 5150941 (अकादमी),
5150936 (परीक्षा), 5150935 (लेखा), फैक्स : 0141–2705067
Website: http://www.rsos.rajasthan.gov.in • e-mail: rajasthansos@gmail.com

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
जयपुर
(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)

2015–16

सभी तक, सबके लिए

अप्प दीपो भव

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल

अनुभव ज्ञान के खिलते फूल

परिचय

शिक्षा की सर्वसुलभता एवं सहजता के लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना 21 मार्च, सन् 2005 ई. में की गई। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल (आर.एस.ओ.एस), स्कूल से बाहर के सीखने के संसाधनों को औपचारिक मान्यता देने की युक्ति है। कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा हेतु न्यूनतम क्रमशः 14 व 15 वर्ष का कोई भी व्यक्ति पंजीयन करवा सकता है। आयु की अधिकतम कोई सीमा नहीं है।

पंजीयन

आवेदन–पत्र वेबसाइट से डाउन लोड किया जा सकता है। आवेदन–पत्र की मुद्रित या फोटो प्रति भी मान्य है। पंजीयन राज्य भर के 442 सन्दर्भ केन्द्रों पर करवाया जा सकता है।

विषयों का चयन

कक्षा 10वीं के 15 व 12वीं के 20 विषयों में से किन्ही पाँच विषयों को चयन करने की छूट होती है। आर.एस.ओ.एस. के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए गणित, अंग्रेजी व विज्ञान विषय की अनिवार्यता नहीं है। माध्यमिक स्तर ग्रुप 'अ' हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी ग्रुप 'ब' गणित*, विज्ञान*, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, गृह विज्ञान*, मनोविज्ञान, भारतीय संस्कृति तथा विरासत, चित्रकला*, डेटा एंट्री कार्य*, उच्च माध्यमिक स्तर ग्रुप 'अ' हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू ग्रुप 'ब' गणित, भौतिकी*, रसायन विज्ञान*, जीव विज्ञान*, इतिहास, भूगोल*, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, लेखाशास्त्र, गृह विज्ञान*, मनोविज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान*, समाज शास्त्र, चित्रकला*, पर्यावरण विज्ञान* एवं डेटा एंट्री कार्य*

टिप्पणी :

1. स्टार (*) द्वारा दर्शाये गये विषयों में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों परीक्षाएं हैं।
2. ग्रुप 'अ' में सभी भाषाएँ सम्मिलित हैं व ग्रुप 'ब' में चयनित विषयों का चयन किया जा सकता है।
3. एक भाषा अनिवार्य व अधिकतम दो भाषाओं का चयन किया जा सकता है।

टी.ओ.सी.

अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से अनुत्तीर्ण होने पर अधिकतम उत्तीर्ण दो विषयों एवं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अभ्यर्थियों को अधिकतम चार विषयों में क्रेडिटों का स्थानान्तरण (टी.ओ.सी.) का लाभ मिलता है।

आंशिक प्रवेश एवं दोहरा नामांकन

इस योजना के अन्तर्गत कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जो पूर्व में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक/उच्च माध्यमिक या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए अन्य विषयों में अपनी पंसद के अनुसार एक या एक से अधिक विषयों (अधिकतम चार विषय) में पंजीकरण करवा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी को पास होने पर केवल अंकतालिका ही दी जाती है उन्हें प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता है।

व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम

अध्ययन में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु विषय विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में वर्ष में एक बार 15 दिवसीय (25 दिसम्बर से 8 जनवरी तक) व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रमों का आयोजन सभी सन्दर्भ केन्द्रों पर किया जाता है।

सार्वजनिक परीक्षाएँ

एक वर्ष में दो बार परीक्षाएँ अक्टूबर–नवम्बर व मार्च–अप्रेल में होती हैं। एक बार पंजीयन करवाने के पश्चात् उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को 5 वर्षों में 9 अवसर मिलते हैं। उत्तीर्ण विषय छूटते जाते है।

पंजीकरण हेतु प्रवेश की तिथियाँ

आवेदकों के पंजीकरण हेतु प्रवेश की तिथियाँ सभी सन्दर्भ केन्द्रों पर निम्नलिखित हैं:

- 01 जुलाई, 2015 से 17 अगस्त, 2015 तक (बिना विलम्ब शुल्क)
- 18 अगस्त, 2015 से 15 सितम्बर, 2015 तक (250/– रु. विलम्ब शुल्क सहित)
- 16 सितम्बर, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 तक (350/– रु. विलम्ब शुल्क सहित)
- 01 अक्टूबर, 2015 से 31 अक्टूबर, 2015 तक (500/– रु. विलम्ब शुल्क सहित)

नोट :–

(i) 31 अक्टूबर, 2015 के बाद किसी भी अभ्यर्थी का सत्र 2015–16 के लिए आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ii) सार्वजनिक अवकाश, रविवार होने पर अगला कार्य दिवस स्वतः ही अन्तिम तिथि के रूप में मान्य होगा।

शुल्क विवरण

क्र.सं.	शुल्क विवरण	माध्यमिक पाठ्यक्रम	उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम
1	सामान्य वर्ग हेतु (प्रवेश शुल्क)	रु.1450/–	रु.1700/–
2	छूट वाले वर्ग हेतु (प्रवेश शुल्क)	रु.1225/–	रु.1475/–
3	पुनः प्रवेश हेतु		
	(क) पंजीकरण शुल्क	रु.250/–	रु.250/–
	(ख) परीक्षा शुल्क (प्रति विषय)	रु.280/–	रु.340/–
4	आंशिक प्रवेश/दोहरा नामांकन हेतु		
	(क) पंजीकरण शुल्क	रु.250/–	रु.250/–
	(ख) परीक्षा शुल्क (प्रति विषय)	रु.280/–	रु.340/–
5	क्रेडिट स्थानान्तरण (टी.ओ.सी.) शुल्क (प्रति विषय)	रु.100/–	रु.100/–
6	प्रायोगिक विषय शुल्क (प्रति विषय)	रु.120/–	रु.120/–
7	कम्प्यूटरीकरण व पहचान पत्र शुल्क	रु.10/–	रु.10/–
8	अग्रेषण शुल्क	रु.35/–	रु.35/–

- भविष्य में, किसी भी स्थिति में एक बार दी गई फीस न तो लौटाई जाएगी और न समायोजित की जाएगी।
- आवश्यक शुल्क के अतिरिक्त कोई और शुल्क का भुगतान न करें।